राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 228

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 25 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

श्रेयस बोले, मैच को छक्के के साथ खत्म करना अच्छा लगता है

>> 14

हमें भी अभिव्यक्ति का अधिकार

इशारों की ही सही, लेकिन यही हमारी भाषा है, यही अभिव्यक्ति। इसे संवैधानिक मान्यता मिलने से हमारी यह भाषा संरक्षित और समृद्ध होते हुए हमारे समाज के लिए मददगार सिद्ध होगी...। यह कहना है नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ का। पेज-11

जागरण विशेष

कोशिश यही रहती है कि हर बार कुछ अलग करूं...

कोलकाता : राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह की बीते एक दशक से कमेंट्री करते आ रहे रिटायर्ड कर्नल जीवन कुमार सिंह का कहना है कि वे हर वर्ष कुछ बेहतर और नया करने का प्रयास करते हैं। इस बार क्या है उनकी तैयारी, विशेष बातचीत। (पेज-6)

राजनीति का अपराधीकरण खत्म हो : सुप्रीम कोर्ट

निर्देश ▶ चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता एक सप्ताह में रूपरेखा तैयार करके लाएं

अपराधियों को टिकट नहीं देने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश देने की उठी मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राजनीति में अपराधीकरण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने के लिए जल्दी ही कुछ करने की जरूरत पर बल दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से एक हफ्ते में रूपरेखा तैयार करके पेश करने को कहा है। कोर्ट ने ये निर्देश शुक्रवार को उस वक्त दिए जब आयोग ने कहा, उम्मीदवारों का आपराधिक ब्योरा प्रकाशित कराने के कोर्ट के आदेश पर अमल के बावजूद अपराधीकरण रुक नहीं रहा है। कोर्ट सियासी दलों को निर्देश दे कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट ही न दें।

न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन व एस रविन्द्र भट्ट की पीठ ने शुक्रवार को भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने कहा,चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता एक साथ बैठकर एक हफ्ते के भीतर राष्ट्रहित देखते हुए राजनीति का अपराधीकरण रोकने की रूपरेखा तैयार करके लाएं। इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 25 सितंबर, 2018 में आदेश दिया था कि हर उम्मीदवार नामांकन दाखिले के बाद तीन बार अपना आपराधिक ब्योरा अखबार में प्रकाशित कराए। टीवी चैनल पर भी विज्ञापन दे, ताकि जनता को उम्मीदवारों की पूरी जानकारी हो और वह उचित निर्णय ले सकें।

याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास नहीं किया। न ही समाचार पत्रों की और न ही टीवी चैनल की लिस्ट और प्रचार का समय तय किया है जिसमें उम्मीदवार को ब्योरा प्रकाशित कराना हो। ऐसे में उम्मीदवार छोटे-छोटे स्थानीय अखबार में ब्योरा प्रकाशित करा देते हैं और टीवी चैनल पर भी देर रात प्रचार किया जाता है। सरकार के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर कानून बनाने को कहा था, लेकिन इस पर कानून नहीं बनाया गया। सरकार का कहना है कि कोर्ट ने उसे कानून बनाने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया था। इसलिए अवमानना की याचिका खारिज की जाए।

इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट — फाइल फोटो

दागी सांसदों की संख्या 34 फीसद से 46 फीसद हुई

अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि यह ठीक है कि कोर्ट संसद को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता लेकिन राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। 2014 में दागी सांसदों की संख्या 34 फीसद थी जो 2019 में 46 फीसद हो गई है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह सियासी दलों पर दबाव डालें कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं को टिकट न दें। ऐसा होने पर आयोग राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करे।

कोर्ट ने कहा,राष्ट्रहित में जल्द कुछ करने की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है। राष्ट्रहित में जल्दी ही इस पर कुछ किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि आयोग और याचिकाकर्ता एक साथ बैठकर राजनीति का अपराधीकरण रोकने के प्रभावी उपाय और रूपरेखा तैयार करें। राष्ट्रहित में ये जल्दी ही होना चाहिए। इसे विपरीत कानूनी कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए।

आयोग ने नामांकन फार्म में जरूरी बदलाव किए

चुनाव आयोग के वकील विकास सिंह ने कहा कि आयोग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नामांकन संबंधी फार्म में जरूरी बदलाव किए हैं लेकिनउम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा प्रकाशित करने के आदेश से राजनीति का अपराधीकरण रोकने में मदद नहीं मिल रही है। कोर्ट राजनीतिक दलों को आदेश दे कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट न दें।

'रासुका का इस्तेमाल नहीं करने का व्यापक आदेश नहीं दे सकते'

नई दिल्ली : दिल्ली व अन्य राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के प्रावधान लाग किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा,रासुका का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इस्तेमाल पर रोक का व्यापक आदेश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियां जलाई जा रही हैं ये संगठित भी हो सकता है। (पेज-3)

लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होगा अनुच्छेद 370 और सीएए

जागरण संवाददाता, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) में राजनीति शास्त्र के छात्र अब अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के बारे में भी पढ़ेंगे। विवि प्रशासन पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी में है। बोर्ड बैठक व कार्यपरिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। विवि प्रशासन ने सभी संकायाध्यक्षों व विभागाध्यक्षों को जल्द नए सेलेबस को डिजाइन करने का लक्ष्य दिया है। विवि प्रशासन के मुताबिक राजनीति शास्त्र विभाग ने अनुच्छेद 370 और सीएए को भी कोर्स में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षा में नए पाठ्यक्रम का लाभ ही परीक्षार्थी को मिलता है। विवि के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय का कहना है कि चूंकि अनुच्छेद 370 और सीएए अब कानून का रूप ले चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि विद्यार्थी इससे भलीभांति परिचित हों।

वहीं, इस मुद्दे पर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया कि सीएए पर बहस आदि तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के बावजूद विवि द्वारा इस विभाजनकारी कानून को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनुचित है। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि हर मोर्चे पर फेल हो चुकी भाजपा शिक्षण संस्थाओं को भी विद्वेष की राजनीति का अड्डा बना देना चाहती है।

आधार को वोटर आइडी से जोड़ने के लिए कानून बना रही सरकार

- मतदाताओं को कई जगह नाम दर्ज कराने से रोकना है सरकार का मकसद
- चुनाव आयोग ने की है जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन की सिफारिश

नई दिल्ली, आइएएनएस: कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद आधार संख्या को वोटर आइडी से जोड़ने की खातिर कानून तैयार करने के लिए कैबिनेट नोट पर काम कर रहा है। इसका मकसद लोगों को कई जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से रोकना है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन पर काम कर रहा है। प्रस्तावित संशोधनों को विचार के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है, ताकि वह इसे संसद में रख सके।

जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के बाद नागरिकों को गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र को 12-अंकों के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता होगी। एक अधिकारी ने बताया कि अभी यह फैसला नहीं लिया गया है कि कैबिनेट नोट को कब मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन, इसे 31 जनवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले या इसके दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।

चुनाव आयोग ने अगस्त 2019 में कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन की सिफारिश की थी, ताकि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वालों और मौजूदा मतदाताओं से आधार नंबर मांगा जा सके। मतदाता सूची में कई प्रविष्टियों की जांच करने और उन्हें त्रुटि मुक्त बनाने के लिए आयोग ने 2015 में मतदाताओं के डाटा के साथ आधार संख्या को जोड़ने की खातिर राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम परियोजना शुरू की थी। आयोग ने 23 जनवरी, 2015 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा था। इसके मुताबिक, मतदाता सूची के आवेदकों से आधार संख्या एकत्र करने के लिए 3 मार्च, 2015 को अभियान शुरू किया गया। लेकिन, 11 अगस्त, 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस पर रोक लगा दी कि मतदाताओं का आधार नंबर जुटाने के लिए कानून बनाने की जरूरत होगी। उस समय तक आयोग 38 करोड़ मतदाताओं का आधार नंबर जुटा चुका था, जबकि भारत में 75 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं। ज्ञात हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जन वितरण प्रणाली, खासकर अनाज व केरोसिन लेने के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

'भारत में ज्यादा दिन नहीं रहेगी आर्थिक सुस्ती'

- आइएमएफ प्रमुख ने अर्थव्यवस्था में गिरावट को अस्थायी बताया
- कहा, आने वाले दिनों में तेजी की राह पर चलेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

दावोस, प्रेट्र : भारत जैसी बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्था में कुछ गिरावट दिख रही है। हमारा मानना है कि यह गिरावट ज्यादा दिन नहीं रहेगी। यहां की आर्थिक सुस्ती अस्थायी है। आने वाले दिनों में इसमें तेजी का अनुमान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के वार्षिक सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ने शुक्रवार को यह बात कही।

आइएमएफ प्रमुख ने दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बढ़त की उम्मीद जताई। इसमें इंडोनेशिया और वियतनाम से काफी बेहतर आंकड़े दिख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ सुस्ती है, लेकिन यह अस्थायी लगती है। आगे चलकर यहां की अर्थव्यवस्था फिर गति पकड़ेगी। कई अफ्रीकी देश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जॉर्जिवा ने मेक्सिको समेत कुछ देशों की अर्थव्यवस्था पर चिंता भी जताई।

ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर आइएमएफ प्रमुख का भरोसा मजबूत दिखा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर, 2019 में आइएमएफ की ओर से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करते समय की तुलना में आज ग्लोबल इकोनॉमी की स्थिति बेहतर दिख रही है। अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण का कारोबारी समझौता होने से तनाव में आई कमी ने माहौल को सकारात्मक बनाया है। हालांकि अब भी ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार 3.3 फीसद है, जिसे बहुत शानदार नहीं कहा जा सकता है।

आइएमएफ प्रमुख ने कहा, 'ग्लोबल इकोनॉमी की विकास दर अब भी धीमी है। हमें नीतिगत मोर्चे पर ज्यादा तेजी से कदम उठाने, ढांचागत सुधार करने और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है।' उन्होंने उत्पादकता में सुस्ती और महंगाई को ग्लोबल इकोनॉमी के समक्ष अहम चुनौती बताया। जॉर्जिवा ने कहा, 'हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहां जोखिम की आशंका ज्यादा है। अभी जनवरी है और अभी से ग्लोबल इकोनॉमी को संकट में डालने वाले कुछ संकेत दिखने लगे हैं।'

डब्ल्यूईएफ के बोर्ड का हिस्सा बनीं आइएमएफ प्रमुख : वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने आइएमएफ प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिवा और अफ्रीकन रेनबो मिनरल्स के चेयरमैन पैट्रिस मोसेपे को अपने ट्रस्टी बोर्ड में शामिल करने का एलान किया है। डब्ल्यूईएफ ने कहा कि वैचारिक नेतृत्व के मामले में दोनों का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है। साथ ही अपने-अपने क्षेत्र में दोनों लंबे समय से सफलतापूर्वक भूमिकाएं निभा रहे हैं। डब्ल्यूईएफ ने बोर्ड में जॉर्जिवा और मोसेपे के शामिल होने से फोरम का पब्लिक-प्राइवेट को-ऑपरेशन स्वरूप और मजबूत होने का भरोसा जताया।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलीना जार्जिवा की फाइल फोटो। एएफपी

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

फड़नवीस ने विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराए थे : देशमुख

मुंबई : महाराष्ट्र में पूर्व की भाजपा नीत सरकार में विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराए जाने के आरोपों पर सियासत गरमा गई है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि फड़नवीस सरकार ने लोस व विस चुनावों के दौरान कांग्रेस और राकांपा नेताओं के फोन टैप कराए थे। साइबर सेल से मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

सड़क निर्माण में देरी करने वाले अफसरों का परफॉरमेंस ऑडिट

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से कहा है कि वे लंबित सड़क परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे जल्द सुलझाएं। उन्होंने परियोजनाओं में विलंब के जिम्मेदार अधिकारियों के परफॉरमेंस ऑडिट के निर्देश भी दिए हैं। मानेसर में दो दिनों तक चली बैठक में गडकरी ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ गहन विमर्श किया।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

चीन ने चार करोड़ से ज्यादा आबादी पर लगाईं बंदिशें

बीजिंग : चीन में रहस्यमय कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने से वुहान समेत 13 शहरों में सार्वजनिक परिवहन रोक दिया गया है। इससे चार करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इन शहरों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। चीन में इस वायरस से अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है और 830 से ज्यादा लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं।

निर्भया के दो दोषी फिर कोर्ट पहुंचे

- तिहाड़ जेल प्रशासन पर दस्तावेज नहीं देने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों ने पटियाला हाउस अदालत में अर्जी दायर कर तिहाड़ जेल प्रशासन पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। इनकी याचिका पर शनिवार को सुनवाई हो सकती है।

दोषियों अक्षय कुमार सिंह और पवन की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका दायर करनी है। इसके लिए तिहाड़ जेल प्रशासन से कुछ दस्तावेजों की जरूरत है, आग्रह किए जाने के बावजूद दोनों को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। अधिवक्ता एपी सिंह के मुताबिक, जेल में अक्षय और पवन के आचरण व अन्य दस्तावेजों की जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द याचिका दायर की जा सके। याचिका में दोषियों के परिजनों का हवाला देते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की जाएगी।

पटियाला हाउस अदालत में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा सुन रहे थे, जिनका अब सुप्रीम कोर्ट में तबादला हो चुका है। निर्भया की मां की याचिका पर कोर्ट ने दोषियों अक्षय, पवन, विनय और मुकेश का एक फरवरी के डेथ वारंट जारी किया था।

दया याचिका के साथ डायरी दाखिल करना चाहता है विनय

अर्जी में विनय की डायरी भी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई गई है। वह अपनी याचिका के साथ 70 पन्नों की इस डायरी को भी दाखिल करना चाहता है।

अधिक टैक्स लगाना अन्याय : सीजेआइ

- कहा, टैक्स उसी तरह वसूला जाए, जैसे मधुमक्खी फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना रस निकालती है
- प्रधान न्यायाधीश ने पुराने समय में प्रचलित टैक्स कानूनों का भी दिया उदाहरण

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश में हफ्ते भर बाद आम बजट पेश किया जाना है ऐसे में प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने टैक्स को लेकर अहम बयान दिया है। शुक्रवार को जस्टिस बोबडे ने कहा कि नागरिकों पर अधिक टैक्स लगाना सामाजिक अन्याय है।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 79वें स्थापना दिवस समारोह में जस्टिस बोबडे ने कर चोरी को अपराध करार देते हुए उसे अन्य लोगों के साथ सामाजिक अन्याय बताया। इसके साथ ही यह भी कहा कि सरकार द्वारा लोगों पर मनमाना या अधिक कर लगाना भी एक तरह का सामाजिक अन्याय है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) ने कहा कि नागरिकों से उसी तरह से टैक्स वसूला जाए, जिस तरह से मधुमक्खी फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना उससे रस निकालती है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को साल 2020-21 का आम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार उनसे टैक्स में राहत की उम्मीद की जा रही है।

नई दिल्ली में शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 79 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे। एएनआइ

कर विवाद का त्वरित समाधान प्रोत्साहन के समान

प्रधान न्यायाधीश ने कर से संबधित विवादों के त्वरित निकारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विवादों का त्वरित समाधान आयकर दाताओं के लिए इंसेंटिव के समान है और इससे मुकदमों मे फंसा पैसा भी निकल जाता है। जस्टिस बोबडे ने जोर देकर कहा कि कर न्यायपालिका देश के लिए संसाधन जुटाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। न्याय में देरी पर चिंता जताते हुए सीजेआइ ने कहा कि इसी के चलते न्यायाधिकरणों का गठन हुआ।

सीजेआइ ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल पर दिया जोर पेज>>3

बच्चे अधिकारों के बजाय दायित्वों को अधिक अहमियत दें : पीएम

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले बच्चों से भेंट की और उनके कार्यो की सराहना की। साथ ही कहा, युवा साथियों के साहसिक काम के बारे में सुनने से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वह अपने अधिकारों के बजाय अपने दायित्वों को अधिक अहमियत दें। (पेज-3)

जम्मू-कश्मीर में आज से हर मोबाइल पर चलेगा इंटरनेट

जम्मू : गणतंत्र दिवस से ठीक पहले राज्य प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में शनिवार से पोस्टपेड और प्रीपेड पर 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। ब्राडबैंड सेवा भी हर शहर और कस्बे में उपलब्ध होगी, लेकिन सशर्त और पाबंदियों के साथ। कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को नहीं चला सकेगा। (पेज-6)

घुसपैठियों में खौफ

बंगाल के सीमावर्ती इलाके में एक माह में पकड़े गए 268 बांग्लादेशी, ज्यादातर उत्तर 24 परगना जिले के पारंपरिक रूट से भाग रहे थे, बीएसएफ का दावा-देश में घुसपैठियों की संख्या में आई कमी

सीएए का दिख रहा असर, घुसपैठियों के भागने का सिलसिला जारी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

देश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने का असर दिखने लगा है। घुसपैठिये देश छोड़कर भाग रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले एक महीने में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में काफी कमी आई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शुक्रवार को दावा किया कि ज्यादातर घुसपैठिये बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पारंपरिक रूट से भाग रहे हैं। जनवरी माह में बीएसएफ ने 268 बांग्लादेशियों को सीमा पर पकड़ा है, जो अपने देश भाग रहे थे।

बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आइजी वाईबी खुरानिया ने कहा, सीएए लागू होने व प्रस्तावित एनआरसी को लेकर घुसपैठियों में डर बढ़ा है। पिछले एक माह में बंगाल के सीमांत क्षेत्रों से होकर वापस बांग्लादेश भागने वालों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जवानों ने इस साल जनवरी माह में अब तक 268 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। इनमें से अधिकतर बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादातर घुसपैठिये उत्तर 24 परगना जिले की सीमा से होकर भाग रहे हैं, जो घुसपैठियों के आने-जाने के लिए पारंपरिक रूट रहा है।

मवेशियों की तस्करी में 90 फीसद तक की कमी : इस मौके पर बीएसएफ के डीआइजी एसएस गुलेरिया ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी में काफी कमी आई है। मवेशी तस्करों के खिलाफ उठाए गए कड़े कदमों व सीमा पर कड़ी निगरानी के फलस्वरूप यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि 90 से 95 फीसद तक पशु तस्करी कम हो गई है। अब चोरी-छिपे इक्का-दुक्का ही पशुओं की तस्करी हो रही है, जिसके लिए बॉर्डर के जटिल हालात जिम्मेदार हैं।

दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आईजी वाईबी खुरानिया ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बंग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी दी। जागरण

बंगाल में जमीन अधिग्रहण में समस्या के चलते नहीं हो पा रही फेंसिंग

आइजी ने बताया कि दक्षिण बंगाल फ्रंटियर का बहुत बड़ा इलाका खुला है। वहां फेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। रिवरलाइन बॉर्डर है। ऐसे एरिया में गश्ती व निगरानी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे इलाकों में हमारे जवानों को अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ता है। विभिन्न बाधाओं के बावजूद सीमा पर तैनात हमारे जवान अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिली है। बंगाल में फेंसिंग नहीं होने की सबसे बड़ी दिक्कत जमीन अधिग्रहण की है। बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जो जमीन की जरूरत है, वह यहां नहीं मिल रही है।

मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ी

डीआइजी ने बताया कि पशु व अन्य चीजों की तस्करी पर नकेल कसने में बड़ी सफलता मिली है। लेकिन, पिछले साल मादक पदार्थों, खासकर याबा टैब्लेट की तस्करी में काफी इजाफा हुआ है। यह हमारे लिए चिंताजनक है और इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

नागरिकता संसोधन कानून के समर्थन में राष्ट्रपति से मिले 154 बुद्धिजीवी पेज>>5

विदेश में भारत होटल्स ग्रुप की हजार करोड़ की बेनामी संपत्तियां

- आइटी विभाग ने एनसीआर में 13 ठिकानों पर मारे छापे, 23 करोड़ के गहने भी मिले
- 35 करोड़ की कर चोरी भी पकड़ी गई, 'द ललित' के नाम से होटल चलाता है समूह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बड़े कारोबारी घरानों में छिपे काले धन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आयकर विभाग ने गत दिनों देश के प्रमुख होटल समूह भारत होटल्स और उसके प्रमोटर के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 35 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी और विदेश में ग्रुप के एक हजार करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों का पता चला है। यह ग्रुप देश-विदेश में 'द ललित' ब्रांड नाम से लग्जरी होटल चलाता है।

भारत होटल्स ग्रुप ने हाल ही में देश में भारी निवेश करने की घोषणा की थी। ग्रुप की प्रबंध निदेशक (एमडी) ज्योत्सना सूरी का भारत के उद्योग जगत में अलग रसूख है और वह प्रमुख उद्योग चैंबर फिक्की की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वह सरकार की तरफ से गठित कई समितियों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

वित्त मंत्रालय ने छापेमारी की जानकारी तो दी है, लेकिन होटल समूह का नाम नहीं बताया है। अधिकारियों के मुताबिक, 19 जनवरी को आयकर विभाग ने भारत होटल्स ग्रुप, ज्योत्सना सूरी व अन्य के दिल्ली-एनसीआर स्थित 13 ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान 71.3 लाख की नकदी, 23 करोड़ के गहने और 1.2 करोड़ रुपये की घड़ियां बरामद हुई हैं। छापेमारी में मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि ग्रुप ने विदेश के कई बैंकों में अरबों रुपये का काला धन भी छिपा रखा है।

20वीं सदी के आखिरी दशक में विदेश में छिपानी शुरू की थी काली कमाई पेज>>3